

106



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी

निगरानी-3184/2018/रीवा/भू-र

श्री अर-पह-लम
द्वारा आज दि. 24-5-18 को
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 29-5-18 नियत।

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर/8

अशोक सिंह बघेल पुत्र श्री शीतला सिंह
बघेल निवासी ग्राम डोडो पो0 टाहां
तहसील जवा जिला रीवा म.प्र.

.....आवेदक

बनाम

1. दिनेन्द्र प्रसाद शुक्ला पुत्र श्री लालमणि
शुक्ला, निवासी शिव मंदिर हबीबगंज बी.
एच.आई. भोपाल म.प्र.
2. पूनम तिवारी पत्नी श्री उपेन्द्र तिवारी
निवासी कसियारी तहसील जवा रीवा
म.प्र.
3. सोनिका पत्नी दिनकर प्रसाद द्विवेदी
निवासी अतरैला तहसील जवा जिला
रीवा म.प्र.
4. रामलखनं पुत्र राममनोरथ गुप्ता निवासी
बेलगवा तहसील त्योथर जिला रीवा
5. विजय कुमार पुत्र साकेत बिहारी त्रिपाठी
निवासी धवैया तहसील मनिगवां जिला
रीवा म.प्र.
6. कुसुमलता पत्नी नवनीत द्विवेदी ,
निवासी सिरमौर जिला रीवा म.प्र.
7. तेज बहादुर पुत्र नागेन्द्र सिंह निवासी
डोडो तहसील जवा जिला रीवा म.प्र.
8. जितेन्द्र प्रताप पुत्र शिवबहादुर निवासी
जनकहाई तहसील जवा जिला रीवा म.प्र.

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

न्यायालय राजस्व निरीक्षक रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा

Rossneya
24-5-18

[Handwritten signature]



2

द्वारा प्रकरण क्रमांक 198/ अ-12/ 2017- 18 में पारित आदेश
दिनांक 26.03.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है :-


1. यहकि, ग्राम इटौरा तहसील हुजूर जिला रीवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 320 जिसमें 10 भूखण्ड धारी है । अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपने सर्वे क्रमांक 320/ 1 रकवा 0.020 हे. का सीमांकन कराने हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तहसील हुजूर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त भूखण्ड से लगा हुआ भूखण्ड क्रमांक 320/ 2/ 2 आवेदक का भूखण्ड है। जिसे आवेदक द्वारा श्रीनाथ मिश्र पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद मिश्र निवासी ददरी पोस्ट कोटरा तहसील त्योंथर जिला रीवा से विक्रय विलेख क्रमांक एम.पी. 328492015ए 1128660 दिनांक 21.10.2015 को सर्वे क्रमांक 320/ 2/ 2 रकवा 0.018 हे. क्रय किया था आवेदक द्वारा अपने भूखण्ड पर बोरिंग कराई गई तथा नींव भराई जा चुकी है।
2. यहकि, आवेदक द्वारा अपने भूखण्ड क्रमांक 320/2/2 का सीमांकन कराने हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तहसील हुजूर रीवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें हल्का पटवारी द्वारा मौके पर सीमांकन में पाया कि सर्वे क्रमांक 320 में कुल 10 भूखण्ड है जिसमें विक्रेता द्वारा लगभग 0.012 हे. रास्ता की भूमि विक्रय करदी है । आवेदक के पूर्व दिशा में अनावेदक क्रमांक 1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3184/2018/रीवा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक हुजूर के प्रकरण क्र. 198/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम. शर्मा) सदस्य </p>	

